



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232771
CG-DL-E-20012022-232771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]
No. 263]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2022

का.आ. 269(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 331 (अ) तारीख 20.01.2021 तथा 1576 (अ) तारीख 04.04.2019 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 22.01.2021 तथा 11.04.2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में नार्थ-इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गहपुर – इटानगर स्परलाइन खंड के मधायम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची						
जिला : बिश्नूनाथ				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गोहपुर	गोहपुर	बालिटिका गाँव	301	00	13	65
			302	00	09	26
			300	00	06	32
			299	00	15	36
			298	00	24	15
			202	00	15	40
			291	00	03	50
			290	00	03	45
			227	00	01	10
			210	00	13	30
			211	00	15	13
			212	00	12	73
			213	00	49	71
			87	00	30	92
			86	00	23	46
			38	00	34	93
			44	00	31	54
			45	00	02	57
			43	00	03	57
			41	00	02	27
			250	00	19	16
			23	00	01	60
			21	00	04	59
			13	00	04	06
			22	00	14	56
			20	00	04	84
			19	00	05	33

			17	00	00	69
			18	00	00	65
गोहपुर	गोहपुर	बादल पथार	258	00	01	02
			257	00	01	12
			249	00	01	23
			248	00	21	06
			226	00	03	75
			225	00	08	49
			227	00	09	79
			228	00	01	93
			229	00	04	08
			216	00	15	90
			217	00	04	12
			218	00	07	75
			194	00	06	90
			192	00	11	79
			177	00	18	17
			146	00	06	08
			145	00	06	48
			140	00	17	05
			139	00	07	23
			135	00	00	99
			132	00	03	31
			133	00	15	27
			108	00	13	17
			107	00	00	24
			109	00	13	86
			67	00	02	84
			66	00	01	53
			65	00	02	40
गोहपुर	गोहपुर	चेंगाई गाँव	398	00	02	10
			397	00	07	16
			396	00	06	49
			395	00	07	82
			394	00	16	65
			282	00	05	30
			281	00	04	21
			280	00	10	63
			278	00	00	74
			240	00	30	59

			235	00	14	82
			227	00	06	15
			228	00	04	34
			143	00	00	94
			144	00	03	89
			141	00	04	12
			139	00	03	65
			138	00	06	16
			137	00	06	43
			136	00	05	02
			135	00	12	20
			134	00	10	61
			133	00	00	82
			127	00	05	12
			125	00	03	49
			126	00	04	45
			123	00	01	06
			90	00	08	24
			58	00	04	75
			91	00	08	16
			92	00	09	83
			102	00	00	20
			93	00	10	25
			77	00	12	59
			78	00	00	67
			76	00	06	53
			75	00	12	07
			74	00	08	76
			73	00	00	82
			56	00	13	18
			57	00	00	20
			55	00	23	04
			247	00	19	97
			50	00	00	86
गोहपुर	गोहपुर	घगरा बस्ती गाँव	257	00	04	89
			258	00	00	45
			264	00	09	46
			261	00	18	95
			260	00	01	88
			233	00	31	88

209	00	23	24
208	00	03	64
188	00	06	88
113	00	17	83
114	00	06	50
110	00	08	51
109	00	20	50
108	00	14	93
107	00	06	50
106	00	00	89
121	00	03	13
125	00	17	71
126	00	09	61
38	00	14	00
39	00	14	48
40	00	05	93
30	00	06	94
29	00	01	00
28	00	12	18
25	00	07	05
137	00	00	92
6	00	08	38
276	00	00	20

[फा. सं. 14014/228/2021-जीपी-II (ई-41106)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2022

S.O. 269(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.331(E) dated 20.01.2021 and 1576(E) dated the 04.04.2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 22.01.2021 and 11.04.2019 respectively, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Gohpur - Itanagar Spurline section of North – East Natural Gas Pipeline Grid Project in the state of Assam, by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE						
District: Biswanath				State : Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Gohpur	Gohpur	Balitika Gaon	301	00	13	65
			302	00	09	26
			300	00	06	32
			299	00	15	36
			298	00	24	15
			202	00	15	40
			291	00	03	50
			290	00	03	45
			227	00	01	10
			210	00	13	30
			211	00	15	13
			212	00	12	73
			213	00	49	71
			87	00	30	92
			86	00	23	46
			38	00	34	93
			44	00	31	54
			45	00	02	57
			43	00	03	57
			41	00	02	27
			250	00	19	16
			23	00	01	60
			21	00	04	59
			13	00	04	06
			22	00	14	56

			20	00	04	84
			19	00	05	33
			17	00	00	69
			18	00	00	65
Gohpur	Gohpur	Badal Pathar	258	00	01	02
			257	00	01	12
			249	00	01	23
			248	00	21	06
			226	00	03	75
			225	00	08	49
			227	00	09	79
			228	00	01	93
			229	00	04	08
			216	00	15	90
			217	00	04	12
			218	00	07	75
			194	00	06	90
			192	00	11	79
			177	00	18	17
			146	00	06	08
			145	00	06	48
			140	00	17	05
			139	00	07	23
			135	00	00	99
			132	00	03	31
			133	00	15	27
			108	00	13	17
			107	00	00	24
			109	00	13	86
			67	00	02	84
			66	00	01	53
			65	00	02	40
Gohpur	Gohpur	Chengai Gaon	398	00	02	10
			397	00	07	16
			396	00	06	49
			395	00	07	82
			394	00	16	65
			282	00	05	30
			281	00	04	21
			280	00	10	63

			278	00	00	74
			240	00	30	59
			235	00	14	82
			227	00	06	15
			228	00	04	34
			143	00	00	94
			144	00	03	89
			141	00	04	12
			139	00	03	65
			138	00	06	16
			137	00	06	43
			136	00	05	02
			135	00	12	20
			134	00	10	61
			133	00	00	82
			127	00	05	12
			125	00	03	49
			126	00	04	45
			123	00	01	06
			90	00	08	24
			58	00	04	75
			91	00	08	16
			92	00	09	83
			102	00	00	20
			93	00	10	25
			77	00	12	59
			78	00	00	67
			76	00	06	53
			75	00	12	07
			74	00	08	76
			73	00	00	82
			56	00	13	18
			57	00	00	20
			55	00	23	04
			247	00	19	97
			50	00	00	86
Gohpur	Gohpur	Ghagara Basti Gaon	257	00	04	89
			258	00	00	45
			264	00	09	46
			261	00	18	95

260	00	01	88
233	00	31	88
209	00	23	24
208	00	03	64
188	00	06	88
113	00	17	83
114	00	06	50
110	00	08	51
109	00	20	50
108	00	14	93
107	00	06	50
106	00	00	89
121	00	03	13
125	00	17	71
126	00	09	61
38	00	14	00
39	00	14	48
40	00	05	93
30	00	06	94
29	00	01	00
28	00	12	18
25	00	07	05
137	00	00	92
6	00	08	38
276	00	00	20

[F. No. L-14014/228/2021-GP-II (E-41106)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.